

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी - राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 95/2011

दायर तारीख :- 30-09-2011



1. मांगू पुत्र सगरा (फौत)
  - 1/1. तीजा पत्नि मांगू
  - 1/2. रामकल्याण
  - 1/3. गोपाल
  - 1/4. कृष्णा पुत्री मांगू
2. रामधन
3. सुल्तान
4. अशोक
5. पप्पू
6. रमेश
7. सौणी पत्नि नाथू
8. कमली
9. प्रेम
10. कोयली

पुत्रान मांगू

पुत्रान नाथू

पुत्रियान नाथू

समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला  
तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

— वादीगण

बनाम

1. श्रवण } पुत्रान बालू
2. तेजा }
3. कालू पुत्र बालू (फौत)
  - 3/1. जगदीश पुत्र कालू
  - 3/2. सुखराम पुत्र कालू
  - 3/3. केशरी पत्नि कालू
  - 3/4. लाली पुत्री कालू पत्नि जयराम
  - 3/5. धोली पुत्री कालू पत्नि सुरेश
4. जयराम पुत्र प्रभू जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
5. रमकी पत्नि प्रभू (फौत)
  - 5/1. काली पुत्री प्रभू पत्नि भैरू जाति गुर्जर निवासी खरबूजी की ढाणी तन जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. रूडाराम } पुत्रान छोटू
7. सरदारा }
8. सुवा } पुत्रान हीरा
9. खैरू }
10. ग्यारसा }
11. रामकंवार }

जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील  
विराटनगर जिला जयपुर राज0।

जाति गुर्जर निवासी लाखावाला  
तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील  
विराटनगर जिला जयपुर राज0।

विराट

विराट

12. कल्लूराम } पुत्रान श्योदान  
 13. कैलाश }  
 14. लिछमा पत्नि श्योदान  
 15. मनभरी } पुत्रियान श्योदान  
 16. कौशलया }  
 17. उप पंजीयक उपपंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)  
 18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर(राज0)

जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील  
 विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण

श्री महेश चंद मुदगल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 16

पैरोकार सरकार

**निर्णय**

**निर्णय दिनांक : 27.01.2021**

- वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जोधूला पटवार मण्डल के खसरा नम्बर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2063-2066 है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि के साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 14 बिस्वा, 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रहे है। हाल सैटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 13 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1259/0.06, 1260/0.06 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नंबर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1274/0.15, 1275/0.12 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर बनाया गया है। उक्त दोनों साबिक खसरा नंबरान का रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.45 हैक्टेयर बनती है। जबकि हाल रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि ही बनाया गया है, जो साबिक रकबे की तुलना में 0.06 हैक्टेयर कम बनाकर दिखाया गया है, जबकि मौके पर आज भी साबिक रकबे के बराबर रकबा मौजूद है। यह है कि साबिक खसरा नंबर 1103, 1104 की भूमि रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल हिस्सा 1/2 लादया पुत्र भैरू हिस्सा 1/4 बाला, छोट्या हीरा पिता सेडू हिस्सा 1/4 कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है, जिससे से वादीगण ने रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल एवं लादया पुत्र भैरू का हिस्सा 3/4 जरिये रजिस्ट्री दिनांक 26.03.85 को खरीदा है। उक्त दोनों नंबर का कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का 3/4 हिस्सा बराबर 27 बिस्वा यानी 1 बीघा 7 बिस्वा बनता है, जिसकी रजिस्ट्री वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 लगायत 6 व 8 लगायत 10 के पिता एवं 7 के पति के हक में कराई थी। यह है कि 1 बीघा 7 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर



*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विराट नगर, जयपुर

0.34 हैक्टेयर भूमि बनती है। वादीगण अपनी खरीद शुदा भूमि पर खरीद के दिन से ही 1 बीघा 7 बिस्वा यानी 0.34 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काशत कर रहे हैं। वादीगण का कब्जा खरीद के दिन से ही हाल खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.16, 1275/0.12 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि पर हैं। नाथू फोट होने से उसके वारिसान वादीगण 2 लगायत 10 को पक्षकार मुकदमा बनाया है। यह है कि साबिक खसरा नंबर 1102, 1104 के रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का चौथा हिस्सा 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग बाला, छोट्या, हीरा के कजे काशत व खातेदारी में रही है जिसका हाल सैटलमेंट के दौरान हाल खसरा नंबर 1259/0.06 हैक्टेयर बनाया गया है। यह है कि साबिक रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.45 हैक्टेयर भूमि बनती है एवं मौके पर आज भी 0.45 हैक्टेयर भूमि मौजूद है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में हाल खसरा नंबर 1259, 1260, 1274, 1275 में 0.39 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई है जो साबिक की तुलना में 0.06 हैक्टेयर कम दर्ज की गई है, जो काबिले दुरुस्ती है। यह है कि हाल सैटलमेंट के समय से ही प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की उक्त भूमि की अदला बदली रामसहाय पुत्र नारायण, नाथा पुत्र किशाना, भगवाना पुत्र भूरा कौम गुर्जर के साथ कर लिया था एवं उनकी भूमि साबिक खसरा नंबर 9 रकबा 5 बिस्वा लेकर साबिक खसरा नंबर 1103, 1104 का 1/4 भाग पर कब्जा दे दिया था। हाल सैटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण की खातेदारी में साबिक खसरा नंबर 9 के बने हाल खसरा नंबर 194/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज कराने के साथ अपने 1/4 हिस्से की भूमि हाल खसरा नंबर 1259/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी रामसहाय पुत्र नारायण, नाथा पुत्र किशाना, भगवाना पुत्र भूरा के नाम दर्ज करा दी है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के बदले में प्रतिवादीगण द्वारा बदले में ली गई दिगर भूमि 5 एयर पर प्रतिवादीगण के मकान बने हुए है। जिसकी खातेदारी अभी भी रामसहाय वगै के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि हाल खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि जो तन्हा रूप से वादीगण के कब्जे काशत की भूमि है एवं वादीगण की खरीद शुदा 1 बीघा 16 बिस्वा का 3/4 भाग है में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाना चाहिए था परन्तु वादीगण द्वारा खरीदी गई भूमि का नामान्तरण सैटलमेंट के दर्ज नहीं होने से पूर्व खातेदारों के नाम ही दर्ज किया गया, जिससे प्रतिवादीगण के बुजुर्गों का नाम उक्त नंबरान की भूमि में ही दर्ज रिकॉर्ड रह गया, जो काबिले दुरुस्ती है। यह है कि प्रतिवादीगण, वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने से इनकार ही नहीं किया बल्कि ऐलानिया धमकी भी देने लगे कि हम हमारे नाम दर्ज खातेदारी भूमि का बेचान भी करेंगे। यह कि प्रतिवादीगण अपने द्वारा दी गई धमकी को अमल में लाते हुए वादीगण के हक अधिकार एवं कब्जे काशत की भूमि का बेचान करने में सफल हो गए तो वादीगण को न सिर्फ अनावश्यक मुकदमें बाजी में फसना पड़ेगा बल्कि वादीगण के समय एवं धन की अनावश्यक हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के धन के रूप में किया जाना संभव नहीं



*[Handwritten signature]*

**भूमि अधिकारी**  
**भूमि अधिकारी**

4  
होगा। अतः निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाकत दुरुस्ती इन्द्राज बाबत घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि हाल खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जोधूल तहसील विराटनगर के सम्पूर्ण रकबे का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 का नाम हजफ फरमाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी ग्राम जोधूला खाता संख्या 42 व 116 संवत् 2063-66 प्रदर्श-1, नकल नक्शा ग्राम जोधूला प्रदर्श-2, नकल साबिक नक्शा ट्रेस ग्राम जोधूला प्रदर्श-3, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम जोधूला प्रदर्श-4, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम जोधूला प्रदर्श-5, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खसरा नंबर 1259 (पृष्ठ-2) प्रदर्श-6, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खसरा नंबर 192, 193, 194 वगैरह (पृष्ठ-2) प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी खसरा नंबर 1103, 1104 ग्राम जोधूला संवत् 2035-2038 प्रदर्श-8, नकल जमाबंदी खसरा नंबर 9 ग्राम जोधूला संवत् 2035-2038 प्रदर्श-9, नकल विक्रय पत्र प्रमाणित प्रति प्रदर्श-10, नकल जमाबंदी ग्राम जोधूला खाता संख्या 119 (पृष्ठ-2) प्रदर्श-11 आदि पेश किए हैं।
4. प्रतिवादी संख्या संख्या 1 लगायत 16 का जवाब रहा कि खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 1103 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रहे हैं। तथा हाल सैटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 13 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1259/0.06, 1260/0.06 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नंबर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1274/0.15, 1275/0.12 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर बनाया गया है। उक्त दोनों साबिक खसरा नंबर का रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.45 हैक्टेयर बनती है। जबकि हाल रकबा 0.39 हैक्टेयर बनाया गया है, जो साबिक रकबे की तुलना में 0.06 हैक्टेयर कम बनाकर दिखाया गया है, जबकि मौके पर आज भी साबिक रकबे की बराबर रकबा मौजूद है। साबिक खसरा नंबर 1103, 1104 की भूमि रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल हिस्सा 1/2, लादया पुत्र भेरू हिस्सा 1/4, बाला, छोट्या, हीरा पुत्र सेडू हिस्सा 1/4 कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। तथा वादीगण ने



*(Handwritten signature)*

उपपरिष्ठ अधिकारी  
विराट नगर (जयपुर)

रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल एवं लादू पुत्र भैरू से उनके कब्जा काश्त के आधार पर दोनों की भूमि 3/4 जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी, शेष भूमि हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण की है। 1 बीघा 16 बिस्वा का 3/4 हिस्सा 27 बिस्वा यानी 1 बीघा 7 बिस्वा बनना सही है। यह है कि 1 बीघा 7 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.34 हैक्टेयर भूमि बताना सही है किन्तु वादीगण ने अपनी खरीदशुदा भूमि पर तत्समय नपत करवाकर कब्जा आराजी 0.34 हैक्टेयर पर विक्रेताओ से ले लिया साबित नहीं है जब नये रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि 0.33 हैक्टेयर में से हिस्सा 3/4 व हिस्सा 1/4 दर्ज है, जो साबिक इन्द्राज के मुताबिक प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के नाम दर्ज खातेदारी तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण के अधिकार हिस्सा एवं कब्जा में हिस्सा 1/4 दर्ज है उसे हिस्सा 1/4 को प्रतिवादीगण ने या उनके पूर्वजों ने जब भूमि साबिक खसरा नंबर में दर्ज थी तो किसी को विक्रय ही नहीं किया और मनबंट भाई बंटवारे के आधार पर जब हक मौके पर काबिज है तो प्रतिवादीगण को अपने हक को हिस्से 1/4 की भूमि से महरूम या बेदखल नहीं किया जा सकता। इस कारण दावा गलत ढंग पेश किया गया है। वादीगण का अकेलो का कब्जा आराजी खसरा नंबर के 0.34 हैक्टेयर पर बताया जाना सही नहीं है। परन्तु सच्चाई यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने साबिक खसरा नंबर दर्ज हिस्से के हाल नंबर दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है। यानी हिस्सा 3/4 पर वादीगण तथा हिस्सा 1/4 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 काबिज यानी बालू छोटू हीरा पुत्र सेडू के वारिसान काबिज है। यदि कोई भूमि में हिस्सा बिका भी है तो वह पूर्व में रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल का 1/2 एव लादू पुत्र भैरू का हिस्सा 1/4 बिका है, जबकि हिस्सा 1/4 बालू छोटू हीरा का हिस्सा कभी विक्रय नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त पुराने से लेकर नया रिकॉर्ड के समय तक निरन्तर यथावत है। यह गलत है कि कवेल वादीगण का कब्जा खरीद के दिन से उक्त तीनों खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 अर्थात 0.33 हैक्टेयर पर रहा हो। ओर उनकी अकेलों की कोई फसल खडी होना गलत है, जबकि प्रतिवादीगण अपने हिस्से 1/4 पर समय कब्जा काश्त में रहे है। यह है कि खसरा नंबर 1103, 1104 के रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का चौथा हिस्सा 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के बुजुर्गों बाला, छोटया, हीरा के कब्जे काश्त व खातेदारी में उनके हिस्सा 1/4 के हिसाब से आता है यह गलत है कि प्रतिवादीगण के चौथा हिस्सा में हाल खसरा नंबर 1259/0.06 हैक्टेयर बनाया गया है अपितू साबिक खसरा नंबर 1103 का साबिक रकबा 14 बिस्वा था जिसको वाद संख्या 2 में स्वयं वादीगण ने नये नंबर 1259/0.06 के रूप में 1260/0.06 अर्थात 0.12 हैक्टेयर से बने बताये गए है तो नया नंबर 1103 खसरा नंबर से 1259/0.06 प्रतिवादीगण के पास होना गलत बताया है बल्कि खसरा नंबर हाल 1260/0.06 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की भाई बंटवारा हिस्सा 1/4 में आयी भूमि है, जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है। शेष नंबर 1274/0.15, 1275/0.12 वादीगण के भाई बंटवारे से



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
विराट नगर (जयपुर)

कब्जा काश्त में आए है। नया खसरा नंबर 1259/0.06 के कन्हैयालाल जी मास्टर वगैरह के तथा 1/2 रामसहाय पुत्र नारायण के हिस्सा 1/2 नाम से खातेदारी वर्तमान में है, जिन्हे इस वाद में पक्षकार मुकदमा बनाया जाना चाहिए था जो नहीं बनाया गया इस कारण खसरा नंबर 1259/0.06 प्रतिवादीगण का चौथे हिस्सा 9 बिस्वा बताया जाना सरासर गलत है क्योंकि खसरा नंबर 1259/0.06 का साबिक खसरा नंबर 1103 बताया है। यह है कि हाल सैटलमेंट के समय प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की उक्त भूमि आखिर किस खसरा नंबर की अदला बदली रामसहाय पुत्र नारायण व नाथा पुत्र किशना, भगवाना पुत्र भैरु कौम गुर्जर के साथ कर ली किस लेख के जरिये किसके सामने कर ली तथ उसकी यदि अदला बदली कर ली तो राजस्व रिकॉर्ड क्यों कर नहीं बदला इस बारे में इस खण्ड स्पष्ट विवरण नहीं है। इस कारण अदला बदली वादीगण के केवल लिख देने मात्र से कर लिया जाना साबित नहीं माना जा सकता। जब तक वादीगण इस तथ्य को राजस्व रिकॉर्ड से साबित नहीं कर देते इस कारण उक्त तमाम तथ्य स्वीकार नहीं गलत है। प्रतिवादीगण इन तथ्यों से कतई पार नहीं है। प्रतिवादीगण ने रामसहाय वगैरह की भूमि खसरा नंबर 1259 हिस्सा 1/2 से कभी अदला बदली नहीं की वादी व प्रतिवादीगण का जब पुराने समये से लेकर नया खाता तक कब्जा प्रत्येक इंच भूमि पर तमाम सह खातेदारों की बिना किसी लिखित स्वीकृति के कोई एक सह खातेदार अपनी भूमि का बिना विधिवत बंटवारा कराये बिना किसी अन्य भूमि या व्यक्ति के अदला बदली कराने को अधिकृत नहीं है ना ही शामिल भूमि के हिस्सा 1/4 का कब्जा प्रतिवादीगण रामसहाय वगै को देने को अधिकृत है। प्रतिवादीगण का वाद ग्रस्त भूमि मे हिस्सा 1/4 आज भी मुताबिक रिकॉर्ड मौके पर कायम है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपनी भूमि खातेदारी के हिस्सा 1/4 से महरूम करने से तमाम तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज कराये है। यदि अदला बदली करने का तथ्य सही भी माना जावे तो वादीगण व इनके पूर्व खातेदाराने रहे रामचन्द्र हनुमान वगैरह लादू आदि सहित प्रतिवादीगण के बुजुर्गों सब पर लागू होता है जिससे वादीगण भी वर्तमान में शामिल माने जावेगें क्योंकि पूर्व विकताओं रामचन्द्र वगैरह लादू वगैरह के फुटस पर ही वादीगण आज भूमि वाद ग्रस्त पर क्रेता के रूप मे काबिज व दर्ज रिकॉर्ड हुए है। अकेले प्रतिवादीगण पर अदला बदली करने का तथ्य सही नहीं है ना यह तथ्य लागू हो सकता और ना ही वादीगण द्वारा जबरदस्ती यह तथ्य धोया जा सकता है। ना ही कोई सहमति सह खातेदारों ने इस बारे में दी थी। तथा यह कथन गलत है कि हाल सैटलमेंट में साबिक खसरा नंबर 9 के बने हाल खसरा नंबर 194/0.06 हैकटेयर की खातेदारी दर्ज कराने के साथ अपने हिस्सा 1/4 की भूमि हाल खसरा नंबर 1259/0.06 की खातेदारी रामसहाय पुत्र नारायण नाथा पुत्र किशना भगवाना पुत्र भूरा के नाम प्रतिवादीगण ने दर्ज करवा दी हो और इसके एवज या बदले में साबिक खसरा नंबर 1103 व 1104 का हिस्सा 1/4 उन्हे दे दिया हो व कब्जा करा दिया हो। यह गलत हे कि इसके बदले में ली गई भूमि 5 एयर पर प्रतिवादीगण के मकान



प्रमुख अधिकारी  
विराट नगर (जयपुर)

बना लए हो जब इसकी खातेदारी रामसहाय वगैरह के नाम है तो प्रतिवादीगण बिना अधिकार मकान कैसे बना सकते हैं तमाम तथ्य दुर्भावना पूर्वक वादीगण ने प्रतिवादीगण की हिस्सा 1/4 भूमि वाद संख्या 1 लगायत 3 में दर्ज खातेदारी को हडपने की वजह से गलत व खिलाफ कानून दर्ज कराये है। जिनसे प्रतिवादीगण कतई पांबद नहीं है। तथा रामसहाय वगैरह इस वाद में पक्षकर मुकदमा भी नहीं है इस कारण मान्य न्यायालय के समक्ष किसी को पक्षकर बिना बनाये किसी तरह के उज्र नहीं उठाये जा सकते है इस कारण वादीगण वाद खारिज फरमाया जावें। वाद खण्ड संख्या 8 गलत है खसरा नंबर 1260, 1274, 1275 की सम्पूर्ण भूमि पर 0.33 हैक्टेयर पर वादीगण ने अपना तन्हा कब्जा होना गलत अंकित किया है, जबकि हाल राजस्व रिकॉर्ड से व मौके स्थित पर प्रतिवादीगण का कब्जा हिस्सा 1/4 भूमि खातेदारी पर साबिक नंबर रहा तब से व नया नंबर ने तब से निरन्तर चला आ रहा हैं वादीगण का 3 सम्पूर्ण नंबर पर कब्जा बताने से प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा 1 /4 की खातेदारी सकाय कर सम्पूर्ण भूमि की डिकी वादीगण के नाम खातेदारी में नहीं दी जा सकती है यदि ऐसा किया भी गया तो कतई न्यायोचित नहीं है। यह है कि प्रतिवादीगण के नाम वादीगण के कब्जे सबूत की कोई भूमि नहीं है अपितु 1/2 साबिक रकबा की भूमि वादीगण के पूर्व स्वामी खातेदार हनुमान, रामचन्द्र कौम गुर्जर के साथ प्रतिवादीगण के बुजुर्ग बाला, छोटया, हीरा पिता सेडू हिस्सा 1/4 कौम गुर्जर तथा अन्य विक्रेता हिस्सा 1/4 के लादया पुत्र भैरू के साथ कब्जा व खातेदारी के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहा है था अपने बुजुर्गान के फुटस पर ही उक्त आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काशत में निरन्तर चला आ रहा है। इस कारण वादीगण द्वारा उक्त भूमि को स्वयं के कब्जे काशत की बताया जाना व उनके कब्जा की भूमि में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज खातेदारी में बताया जाना गैर कानूनी है। इसमें रिकॉर्ड दुरुस्ती की कोई बात कभी वादीगण ने प्रतिवादीगण से की हो तथा अर्सा 1 माह पूर्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए प्रतिवादीगण ने वादीगण को कहा हो गलत है। जब प्रतिवादीगण ने वादीगण को किसी तरह के धमकी दी ही नहीं है तो वादीगण को किसी भी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तथा एक सह खातेदार को उसके संयुक्त कब्जे काशत खातेदारी भूमि पर जिस पर प्रतिवादीगण का प्रत्येक इंच भूमि पर स्वामित्व व कब्जा संबंधित कानूनी हक अधिकार प्राप्त है दूसरे सह खातेदार द्वारा जरिये स्थाई अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करावाने की एवं मान्य न्यायालय श्रीमान द्वारा पांबद कराने की कानून इजाजत नहीं देता है। यह है कि वादीगण ने अनुतोष खण्ड के बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण जिस प्रकार से हाल खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जोधूला की डिकी बाबत इन्द्राज दुरुस्ती घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा की चाही गई है गलत है। वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वांछित आधार पर इस खण्ड में अंकित रिलीफ एवं डिकी प्राप्त कर निर्णय कराने के पात्र नहीं है इस



उपखण्ड अधिकारी  
विराट नगर (जयपुर)

कारण वाद वादीगण मय खर्च खारिज फरमाया जावें। तथा विशेष कथन रहे कि मौके पर आराजी वाद ग्रस्त खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/.15, 1275/.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर के वादीगण व प्रतिवादीगण मनबंट एवं भाई बंटवारे के आधार पर परस्पर सहमति से चार खेत बना कब्जा रहे है। जिनमें तीन खेत हिस्सा 3/4 भाग के हिसाब से वादीगण के पास कब्जा काशत में है तथा 1 खेत प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के पास कब्जा काशत है। उक्त चार खेत लंबी पूर्व पश्चिम लंबी व चौड़ी उत्तर दक्षिण के दो पाटी के रूप में बना रखे है जिसके खसरा नंबर 1274/.15, 1275/.06 हैक्टेयर वादीगण के कब्जा काशत में संयुक्त रूप में चले आ रहे है तथा खसरा नंबर 1260/0.06 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के कब्जे काशत में संयुक्त रूप से चले आ रहे है। यह है कि खसरा नंबर 1259 कन्हैयालाल एवं रामसहाय पुत्र नारायण गुर्जर निवासी जोधूला में हिस्सा 1/2, 1/2 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर का भाग यानी 0.03, 0.03 हैक्टेयर दोनों के नाम दर्ज खातेदारी चला आ रही है, जिस भूमि से वादीगण, प्रतिवादीगण का कोई संबंध कि तरह का नहीं है। यह है कि वादीगण में मांगू जिन्दा है जिसके उक्त भूमि में वाद ग्रस्त में हिस्सा 3/8 आता है तथा नाथू फौत होने से उसके वारिसों के हिस्सा 3/4 आता है। इस प्रकार दोनों के योग हिस्सा 3/8 व 3/8 का हिस्सा 3/4 बनता है। शेष हिस्सा 1/4 बालू, छोटू, हीरा के बहिस्सा बराबर आता है यदि रिकॉर्ड दुरुस्त होकर वाद ग्रस्त भूमि साबिक के मुकाबले मैट्रिक प्रणाली से संशोधित होकर 0.45 नये नंबरान की भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जाते तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 का हिस्सा 1/4 के हिसाब से 0.1125 हैक्टेयर भूमि दर्ज खातेदारी अमल दरामद करने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण मय खर्च खारिज फरमाया जावे।

5. प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम जोधूला खाता संख्या 62 संवत् 2067-2070 प्रदर्श-ए-1 पेश किए।

6. प्रकरण में तनकीयात विवेचित की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है-

(1). आया वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 1259/0.06, 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 के साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 14 बिस्वा, 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रहे है, हाल रकबा साबिक रकबे की तुलना में 0.06 हैक्टेयर कम बनाकर दिखाया गया, जबकि मौके पर आज भी साबिक रकबा की भूमि मौजूद है ?

—जिम्मेवादी

(2). आया वादीगण ने साबिक रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का 3/4 हिस्सा यानी 1 बीघा 7 बिस्वा जरिये रजिस्ट्री कर की है, जिसका नया रकबा 0.34 हैक्टेयर बनता है, जिसके मुताबिक वादीगण हाल खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर पर काबिज होकर काशत कर रहे है, जिससे वादीगण को उक्त सम्पूर्ण रकबे का तन्हा खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से नाम हजफ किया जावे एवं वादीगण के कब्जे काशत में दखल नहीं करने बाबत



उपखण्ड अधिकारी  
जिराद नगर (जयपुर)

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे ? —जिम्मेवादी

(3). आया प्रतिवादीगण ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि की अदला बदली रामसहाय वगैरह से कर ली थी, जिससे उनके हिस्से की भूमि हाल खसरा नंबर 1259/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी हाल सैटलमेंट में रामसहाय वगैरह के नाम दर्ज करा ली एवं बदले में साबिक खसरा नंबर 9 से बने हाल खसरा नंबर 194/0.06 हैक्टेयर की भूमि अपने नाम दर्ज करा ली एवं प्रतिवादीगण के मकान की भूमि ले रखी है ?

—जिम्मेवादी

(4). आया आराजी मुतनाजा के पक्षकारान खातेदारान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। प्रतिवादीगण खसरा नंबर 1260/0.06 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। दावा खारिज योग्य है ?

—जिम्मेप्रतिवादी

(5). आया प्रतिवादी ने कोई अदला बदली नहीं की है। खसरा नंबर 1259 से वादी एवं प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी तरह का नहीं है ?

— जिम्मेप्रतिवादी

(6). दादरसी

7. साक्ष्य वादी में वादीगण की तरफ से गवाह पी.डब्लू 1 मांगूराम पुत्र सगराराम गवाह पी.डब्लू 2 गिरधारी पुत्र घीसाराम के बयान पंजीबद्ध किए गए।
8. साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह प्रतिवादी डी.डब्लू 1 कल्लूराम उर्फ कल्याण पुत्र श्योदान गुर्जर के बयान पंजीबद्ध किए गए। एवं तेजाराम पुत्र भगवान सहाय एवं सुल्तान पुत्र रूडाराम के शपथ पत्र पेश किए गए।
9. तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 का विवेचन निम्नानुसार है—  
**तनकी संख्या 1** को साबित करने का भार वादी पर रहा है। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि वाके ग्राम जोधूला पटवार मण्डल के खसरा नम्बर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि के साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 14 बिस्वा, 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रहे है। हाल सैटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 14 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1259/0.06, 1260/0.06 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नंबर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1274/0.15, 1275/0.12 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर बनाया गया है। उक्त दोनों साबिक खसरा नंबरान का रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.45 हैक्टेयर भूमि बनती है, जबकि हाल रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि ही बनाया गया है, जो साबिक रकबे की तुलना में 0.06 हैक्टेयर कम बनाकर दिखाया गया है, जबकि मौके पर आज भी साबिक रकबे के बराबर रकबा मौजूद है। वादीगण के कथन के विवेचन उपरान्त वादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रदर्श-4 के अनुसार हाल खसरा नंबर 1259/0.06, 1260/0.06 के साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा



*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 दिवस (मिस्ट)

14 बिस्वा एवं हाल खसरा नंबर 1274/0.15, 1275/0.12 के साबिक खसरा नंबर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रहे है। उक्त साबिक खसरा नंबरों के रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तन करने पर हाल खसरा नंबरान का रकबा 0.45 हैक्टेयर बनता है, परन्तु प्रदर्श- 1 के अनुसार उक्त खसरा नंबरान का हाल रकबा 0.39 हैक्टेयर ही बन रहा है। अर्थात साबिक खसरा नंबर के रकबे में एवं हाल खसरा नंबर के रकबे में 0.06 हैक्टेयर भूमि का अन्तर आ रहा है, परन्तु वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो रकबे में अन्तर आ रहा है वह भूमि किसके नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित होता हो कि अन्तर 0.06 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड चल रही है या प्रतिवादीगण ने किसी को बेचान कर दिया हो। अतः तनकी संख्या 1 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या 1 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 2** को साबित करने का भार वादी पर रहा है। वादी का तर्क कि साबिक खसरा नंबर 1103, 1104 की भूमि रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल हिस्सा 1/2 लादया पुत्र भैरू हिस्सा 1/4 बाला, छोट्या हीरा पिता सेडू हिस्सा 1/4 कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है, जिसमें वादीगण ने रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल एवं लादया पुत्र भैरू का हिस्सा 3/4 जरिये रजिस्ट्री दिनांक 26.03.85 को खरीदा है। उक्त दोनों नंबर का कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का 3/4 हिस्सा बराबर 27 बिस्वा यानी 1 बीघा 7 बिस्वा बनता है, जिसकी रजिस्ट्री वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 लगायत 6 व 8 लगायत 10 के पिता एवं 7 के पति के हक में कराई थी। यह है कि 1 बीघा 7 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.34 हैक्टेयर भूमि बनती है। वादीगण अपनी खरीद शुदा भूमि पर खरीद के दिन से ही 1 बीघा 7 बिस्वा यानी 0.34 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा कि साबिक खसरा नंबर 1103, 1104 की भूमि रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल हिस्सा 1/2, लादया पुत्र भैरू हिस्सा 1/4, बाला, छोट्या, हीरा पुत्र सेडू हिस्सा 1/4 कौम गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। तथा वादीगण ने रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल एवं लादू पुत्र भैरू से उनके कब्जा काश्त के आधार पर दोनों की भूमि 3/4 जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी, शेष भूमि हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण की है। 1 बीघा 16 बिस्वा का 3/4 हिस्सा 27 बिस्वा यानी 1 बीघा 7 बिस्वा बनना सही है। यह है कि 1 बीघा 7 बिस्वा को मैट्रिक प्रणाली में बदलने पर 0.34 हैक्टेयर भूमि बताना सही है किन्तु वादीगण ने अपनी खरीदशुदा भूमि पर तत्समय नपत करवाकर कब्जा आराजी 0.34 हैक्टेयर पर विक्रेताओ से ले लिया साबित नहीं है जब नये रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि 0.33 हैक्टेयर में से हिस्सा 3/4 व हिस्सा 1/4 दर्ज है, जो साबिक इन्द्राज के मुताबिक प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के नाम दर्ज खातेदारी तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण के अधिकार हिस्सा एवं कब्जा में हिस्सा



कांग्रेस उपखण्ड अधिकारी  
विंदा नगर (जहानपुर)

1/4 दर्ज है उसे हिस्सा 1/4 को प्रतिवादीगण ने या उनके पूर्वजों ने जब भूमि साबिक खसरा नंबर में दर्ज थी तो किसी को विक्रय ही नहीं किया और मनबंट भाई बंटवारे के आधार पर जब हक मौके पर काबिज है तो प्रतिवादीगण को अपने हक को हिस्से 1/4 की भूमि से महरूम या बेदखल नहीं किया जा सकता। वादीगण का अकेलो का कब्जा आराजी खसरा नंबर के 0.34 हैक्टेयर पर बताया जाना सही नहीं है। परन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने साबिक खसरा नंबर दर्ज हिस्से के हाल नंबर दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है। यानी हिस्सा 3/4 पर वादीगण तथा हिस्सा 1/4 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 काबिज यानी बालू, छोटू, हीरा पुत्र सेडू के वारिसान काबिज है। यदि कोई भूमि में हिस्सा बिकी भी है तो वह पूर्व में रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल का 1/2 एव लादू पुत्र भैरू का हिस्सा 1/4 बिका है, जबकि हिस्सा 1/4 बालू, छोटू, हीरा का हिस्सा कभी विक्रय नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का कब्जा काशत पुराने से लेकर नया रिकॉर्ड के समय तक निरन्तर यथावत है। यह गलत है कि केवल वादीगण का कब्जा खरीद के दिन से उक्त तीनों खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 अर्थात् 0.33 हैक्टेयर पर रहा हो। उभयपक्षों के कथनों के विवेचन उपरान्त वादीगण की तरफ से प्रस्तुत विक्रय पत्र से साबित होता है कि वादीगण ने साबिक खसरा नंबर 1103, 1104 की भूमि रामचन्द्र, हनुमान पिता गोपाल हिस्सा 1/2, लादया पुत्र भैरू हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्ट्री खरीदी थी। किन्तु वादीगण ने अपनी खरीदशुदा भूमि पर तत्समय नपत करवाकर आराजी के रकबा 0.34 हैक्टेयर पर ही विक्रेताओं से कब्जा लिया जाना साबित नहीं होता है जबकि नये राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि 0.33 हैक्टेयर में से हिस्सा 3/4 व हिस्सा 1/4 दर्ज है, जो साबिक इन्द्राज के मुताबिक प्रतिवादीगण के बुजुर्गों के नाम दर्ज खातेदारी तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण के अधिकार हिस्सा एवं कब्जा में हिस्सा 1/4 दर्ज है वो ही हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों ने के हिस्से में साबिक खसरा नंबर में दर्ज थी। जिससे राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के हक में दर्ज हिस्से 1/4 की भूमि से महरूम या बेदखल नहीं किया जा सकता। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने साबिक खसरा नंबर दर्ज हिस्से के हाल नंबर दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है। यानी हिस्सा 3/4 पर वादीगण तथा हिस्सा 1/4 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 काबिज यानी बालू, छोटू, हीरा पुत्र सेडू के वारिसान काबिज है। वादीगण द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि खरीद शुदा हाल रकबे 0.33 हैक्टेयर पर कभी अकेले वादीगण की खातेदारी आई हो, और बाद में 0.33 हैक्टेयर पर 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण की खातेदारी आई हो। वादीगण की द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 के अनुसार हाल रकबे 0.33 हैक्टेयर पर हिस्सा 3/4 की खातेदारी तो वादीगण के नाम तथा हिस्से 1/4 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिससे सम्पूर्ण रकबे 0.33 हैक्टेयर पर अकेले वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित नहीं किया जा सकता है। जब हाल रकबे 0.33 हैक्टेयर



*[Handwritten Signature]*  
 अधिकारी  
 विराट नगर (जयपुर)

सम्पूर्ण वादीगण का हक साबित ही नहीं होता तो रकबे 0.33 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता तथा वादीगण, प्रतिवादीगण को उक्त रकबे पर कब्जे काशत में दखल नहीं देने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं होते हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 2 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 3** को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि हाल सैटलमेंट के समय से ही प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की उक्त भूमि की अदला बदली रामसहाय पुत्र नारायण, नाथा पुत्र किशना, भगवाना पुत्र भूरा कौम गुर्जर के साथ कर लिया था एवं उनकी भूमि साबिक खसरा नंबर 9 रकबा 5 बिस्वा लेकर साबिक खसरा नंबर 1103, 1104 का 1/4 भाग पर कब्जा दे दिया था। हाल सैटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण की खातेदारी में साबिक खसरा नंबर 9 के बने हाल खसरा नंबर 194/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज कराने के साथ अपने 1/4 हिस्से की भूमि हाल खसरा नंबर 1259/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी रामसहाय पुत्र नारायण, नाथा पुत्र किशन भगवाना पुत्र भूरा के नाम दर्ज करा दी है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के बंदले में प्रतिवादीगण द्वारा बदले में ली गई दिगर भूमि 5 एयर पर प्रतिवादीगण के मकान बने हुए हैं। तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा कि हाल सैटलमेंट के समय प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की उक्त भूमि आखिर किस खसरा नंबर की अदला बदली रामसहाय पुत्र नारायण व नाथा पुत्र किशना, भगवाना पुत्र भूरा कौम गुर्जर के साथ कर ली किस लेख के जरिये किसके सामने कर ली तथा उसकी यदि अदला बदली कर ली तो राजस्व रिकॉर्ड क्यों कर नहीं बदला इस बारे में इस खण्ड स्पष्ट विवरण नहीं है। जब तक वादीगण इस तथ्य को राजस्व रिकॉर्ड से साबित नहीं कर देते इस कारण उक्त तमाम तथ्य स्वीकार नहीं गलत है। प्रतिवादीगण ने रामसहाय वगैरह की भूमि खसरा नंबर 1259 हिस्सा 1/2 से कभी अदला बदली नहीं की वादी व प्रतिवादीगण का जब पुराने समये से लेकर नया खाता तक कब्जा प्रत्येक इंच भूमि पर तमाम सह खातेदारों की बिना किसी लिखित स्वीकृति के कोई एक सह खातेदार अपनी भूमि का बिना विधिवत बंटवारा कराये बिना किसी अन्य भूमि या व्यक्ति के अदला बदली कराने को अधिकृत नहीं है ना ही शामलाती भूमि के हिस्सा 1/4 का कब्जा प्रतिवादीगण रामसहाय वगै को देने को अधिकृत है। उभयपक्षों के विवेचन उपरान्त यह है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की 1/4 की भूमि की अदला बदली रामसहाय वगैरह के साथ करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से 1/4 भूमि की अदला बदली रामसहाय वगैरह के साथ की हो तथा उनके नाम दर्ज साबिक खसरा नंबर 9 की खातेदारी स्वयं के नाम कराई हो, क्योंकि साबिक खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर पर शुरू से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामलाती कब्जा काशत रहा है। तथा शामलाती खाते में प्रत्येक इंच भूमि पर तमाम सह खातेदारों की बिना किसी लिखित स्वीकृति के कोई एक सह खातेदार अपनी



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
धिराट नगर (जलपुर)

भूमि का बिना विधिवत बंटवारा कराये बिना किसी अन्य भूमि या व्यक्ति के अदला बदली कराने को अधिकृत नहीं है ना ही शामिल भूमि के हिस्सा 1/4 का कब्जा प्रतिवादीगण रामसहाय वगै को देने को अधिकृत है। अतः तनकी संख्या 3 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण तनकी संख्या 3 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 4** को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन रहा कि खसरा नंबर हाल 1260/0.06 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की भाई बंटवारा हिस्सा 1/4 में आयी भूमि है, जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के कब्जा काशत में है। परन्तु पत्रावली में प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता है कि उक्त वाद ग्रस्त आराजी पर पूर्व से ही प्रतिवादीगण खसरा नंबर 1260/0.06 हैक्टेयर काबिज काशत थे। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद ग्रस्त भूमि का विधिक बंटवारा हुआ था। प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों के अभाव में यह साबित नहीं होता है कि वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान खातेदारान ने पूर्व से ही बाहमी बंटवारा कर अनुसार खसरा नंबर 1260/0.06 पर काबिज काशत है। अतः तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरुद्ध में निर्णीत की जाती है।

**तनकी संख्या 5** को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा है। अधिवक्ता वादीगण का तर्क रहा कि हाल सैटलमेंट के समय से ही प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की उक्त भूमि की अदला बदली रामसहाय पुत्र नारायण, नाथा पुत्र किशना, भगवाना पुत्र भूरा कौम गुर्जर के साथ कर लिया था एवं उनकी भूमि साविक खसरा नंबर 9 रकबा 5 बिस्वा लेकर साविक खसरा नंबर 1103, 1104 का 1/4 भाग पर कब्जा दे दिया था। हाल सैटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण की खातेदारी में साविक खसरा नंबर 9 के बने हाल खसरा नंबर 194/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज कराने के साथ अपने 1/4 हिस्से की भूमि हाल खसरा नंबर 1259/0.06 हैक्टेयर की खातेदारी रामसहाय पुत्र नारायण, नाथा पुत्र किशना, भगवाना पुत्र भूरा के नाम दर्ज करा दी है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के बदले में प्रतिवादीगण द्वारा बदले में ली गई दिगर भूमि 5 एयर पर प्रतिवादीगण के मकान बने हुए है। जिसकी खातेदारी अभी भी रामसहाय वगै के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा कि हाल सैटलमेंट के समय प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की उक्त भूमि आखिर किस खसरा नंबर की अदला बदली रामसहाय पुत्र नारायण व नाथा पुत्र किशना, भगवाना पुत्र भैरु कौम गुर्जर के साथ कर ली किस लेख के जरिये किसके सामने कर ली तथ उसकी यदि अदला बदली कर ली तो राजस्व रिकॉर्ड क्यों कर नहीं बदला इस बारे में इस खण्ड स्पष्ट विवरण नहीं है। जब तक वादीगण इस तथ्य को राजस्व रिकॉर्ड से साबित नही कर देते इस कारण उक्त तमाम तथ्य स्वीकार नही गलत है। प्रतिवादीगण ने रामसहाय वगैरह की भूमि खसरा नंबर 1259 हिस्सा 1/2 से कभी अदला बदली नहीं की वादी व प्रतिवादीगण का जब पुराने समये से लेकर



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
विराट नगर (जयपुर)

नया खाता तक कब्जा प्रत्येक इंच भूमि पर तमाम सह खातेदारों की बिना किसी लिखित स्वीकृति के कोई एक सह खातेदार अपनी भूमि का बिना विधिवत बंटवारा कराये बिना किसी अन्य भूमि या व्यक्ति के अदला बदली कराने का अधिकृत नहीं है ना ही शामिल भूमि के हिस्सा 1/4 का कब्जा प्रतिवादीगण रामसहाय वगैरे को देने को अधिकृत है। उभयपक्षों के कथन के विवेचन उपरान्त वादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रदर्श-11 में साबिक खसरा नंबर 1103 व 1104 की खातेदारी वादीगण से पूर्व खातेदार एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साबिक खसरा नंबर 1103 से ही हाल खसरा नंबर 1259 व 1260 नये खसरा नंबर बने हैं। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2063-2066 में खाता संख्या 116 में दर्ज खसरा नंबर 1259 की खातेदारी रामसहाय पुत्र नारायण वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो की खसरा नंबर 1259 की खातेदारी किस प्रकार रामसहाय वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली गई तथा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 1259 की खातेदारी रामसहाय वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड करवाई हो। जमाबंदी संवत् 2062-2066 में खसरा नंबर 1259 की खातेदारी रामसहाय वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1259 की खातेदारी से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कोई संबंध साबित नहीं होता है। अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।



10. अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में RRT 2011-12 (Supp.) page 195 to 200, RRD 1995 page 208 to 211, RRD Feb, 2002 page 81 to 83, RRD May, 2002 Page 249 to 252, RRD April 2002 Page 205 to 207 आदि नेक दृष्टान्त पेश किए गए।
11. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। बाके गाम जोधूला पटवार मण्डल के खसरा नम्बर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि के साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 14 बिस्वा, 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रहे है। हाल सैटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नंबर 1103 रकबा 14 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1259/0.06, 1260/0.06 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर एवं साबिक खसरा नंबर 1104 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 1274/0.15, 1275/0.12 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर बनाया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज हिस्से 1/4 की खातेदारी की अदला बदली रामसहाय वगैरह के साथ की हो और अपने नाम 1/4 हिस्से की खातेदारी रामसहाय वगैरह के नाम करवाई हो और उसके बदले में उनकी खातेदारी की भूमि अपने नाम करवाई हो। तथा वादीगण के नाम दर्ज

  
उपस्थित अधिकारी  
जिसाट नगर (जयपुर)

खातेदारी में भी अपने हिस्से की खातेदारी पुनः दर्ज करवाई हो। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व मौखिक साक्ष्यों के उपरान्त तनकी संख्या 1, 2 व 3 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असाफल रहने से तनकी संख्या 1, 2 व 3 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है। एवं तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरुद्ध व 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है। ऐसे में वादीगण का दावा खारिज करने योग्य है। अतः वादीगण का दावा खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

### आदेश

वादीगण का वाद पत्र दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
 (राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 विराटनगर

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)  
अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर  
बइजलास :- राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.



1. मांगू पुत्र सगरा (फौत)
- 1/1. तीजा पत्नि मांगू
- 1/2. रामकल्याण
- 1/3. गोपाल
- 1/4. कृष्णा पुत्री मांगू
2. रामधन
3. सुल्तान
4. अशोक
5. पप्पू
6. रमेश
7. सौणी पत्नि नाथू
8. कमली
9. प्रेम
10. कोयली

समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला  
तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

— वादीगण

बनाम

1. श्रवण } पुत्रान बालू
2. तेजा }
3. कालू पुत्र बालू (फौत)
- 3/1. जगदीश पुत्र कालू
- 3/2. सुखराम पुत्र कालू
- 3/3. केशरी पत्नि कालू
- 3/4. लाली पुत्री कालू पत्नि जयराम
- 3/5. धोली पुत्री कालू पत्नि सुरेश
4. जयराम पुत्र प्रभू जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
5. रमकी पत्नि प्रभू (फौत)
- 5/1. काली पुत्री प्रभू पत्नि भैरू जाति गुर्जर निवासी खरबूजी की ढाणी तन जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. रुडाराम } पुत्रान छोटू
7. सरदारा }
8. सुवा }
9. खैरू }
10. ग्यारसा }
11. रामकंवार }

जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील  
विराटनगर जिला जयपुर राज0।

जाति गुर्जर निवासी लाखावाला  
तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील  
विराटनगर जिला जयपुर राज0।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

12. कल्लूराम } पुत्रान श्योदान  
 13. कैलाश }  
 14. लिछमा पत्नि श्योदान  
 15. मनभरी } पुत्रियान श्योदान  
 16. कौशलया }  
 17. उप पंजीयक उपपंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)  
 18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर(राज0)
- जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील  
 विराटनगर जिला जयपुर राज0।
- प्रतिवादीगण




12. मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 95/2011 दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तेई रूवरु श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण व हाजरी ..... मिन जानिव मुददई रूवरु श्री महेश चन्द्र मुदगल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 16 कार्यवाही मिन जानिव मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है डिक् वहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वावत दुरुस्ती इन्द्राज वावत घोषणा खातेदारी हक इस अमर की प्रदान की जावे कि भूमि हाल खसरा नंबर 1260/0.06, 1274/0.15, 1275/0.12 कुल कित्ता 3 कुल रकवा 0.33 हेक्टेयर भूमि वाके ग्राम जोधूल तहसील विराटनगर के सम्पूर्ण रकवे का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 का नाम हजफ फरमाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। पत्रावली में वादीगण की तरफ से एवं प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवें।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)  
 उपखण्ड अधिवक्ता  
 विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य.....  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी  
 सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें।  
 सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.01.2021 को  
 जारी की गई।



(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी  
 विशट नगर  
 विशट नगर

मुद्दई	रुपया	मुद्दायलह	रुपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के  
 जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी  
 विशट नगर  
 विशट नगर